रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022020-216013
CG-DL-E-07022020-216013

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 2020/माघ 16, 1941
No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2020/MAGHA 16, 1941

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2020

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (2) के उप-खंडों (ङ.), (ङ), (ढ), (ण) और (त) के साथ पठनीय धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामतः—

1. इन विनियमों का नाम 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 है।
2. यह राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 में -

(I) विनियम 2 में उप-विनियम 2 (छ) के बाद उप-विनियम (ज) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा-

' "प्रायोजक" से ऐसा कोई कॉर्पोरेट निकाय अभिप्रेत है, जो पेंशन निधि में शेयर पूँजी का कम से कम बीस प्रतिशत धारित करता है और उप-विनियम 8 (ज) के तहत परिभाषित किया गया है।'

(II) विनियम 8 के उप-विनियम (1)(ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

'प्रायोजक, एकल या संयुक्त रूप से, पिछले प्रत्येक पांच वित्त वर्षों के अंतिम दिन कम से कम पचास करोड़ रूपये की सक्रिय मूर्त निवल मूल्य की परिसंपत्ति धारित करता हो, जिसमें से न्यूनतम 25 करोड़ रूपये की पूँजी हो,'

(III) विनियम 8 के उप-विनियम (1)(ड.) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

'(i) प्रायोजक को पेंशन निधि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अलग लिमिटेड कंपनी निगमित करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे पेंशन निधि में कम से कम पचास करोड़ रूपये या अधिक, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है, मूल्य की सक्रिय निवल परिसंपत्ति हो;

(ii) पहले से प्राधिकरण के साथ पंजीकृत पेंशन निधि के प्रायोजक को नई पेंशन निधि निगमित करने की आवश्यकता नहीं होगी; लेकिन उक्त पेंशन निधि का सम्पूर्ण विवरण प्राधिकरण को देने की आवश्यकता होगी;

परन्तु प्रायोजक को यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा पेंशन निधि के पास, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर, न्यूनतम पचास करोड़ या उससे अधिक राशि, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो, की मूर्त निवल परिसंपत्ति हो।'

(IV) विनियम 8 के उप-विनियम 1 (च) को निम्नानुसार प्रथिस्थापित किया जाएगा-

'किसी विदेशी कंपनी द्वारा या तो स्वयं या अपनी सहायक कंपनियों या अपने नामितों के माध्यम से या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी संघ द्वारा चाहे वह भारत के बाहर देश के किसी कानून के तहत पंजीकृत हो या नहीं , इक्विटी शेयरों की सकल धारिता पेंशन निधि में उस निधि की चुकता पूंजी उन्नचास प्रतिशत से अधिक न हो या वह प्रतिशत जिसे बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के प्रावधानों के तहत भारतीय बीमा कंपनी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो भी अधिक हो। विदेशी निवेश की गणना केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित उपयुक्त नियमों या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगी;'

(V) विनियम 8 के उप-विनियम (1) (झ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

'पेंशन निधि का प्रायोजक या पेंशन निधि स्वयं प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन निधि में कोई इक्विटी स्टेक धारित नहीं करेगी,
परन्तु पेंशन निधि का प्रायोजक, जो अधिनियमों और/या इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन निधि में पहले से ही इक्विटी स्टेक धारित करता है, इसे जारी रख सकता है। हालांकि प्रायोजक किसी अन्य पेंशन निधि में प्राधिकरण से प्राप्त विशिष्ट अनुमोदन के बिना इक्विटी स्टेक या धारिता को बढ़ा नहीं सकता;'

(VI) विनियम, 8 के उप-विनियम (3) में 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित' शब्दों के पश्चात् 'या प्रशासित' शब्दों को जोड़ा जाएगा।

(VII) विनियम 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

'पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया, पंजीकरण शुल्क और पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि-

(1) पेंशन निधि के पंजीकरण के लिए चयन प्रक्रिया के तहत प्राधिकरण द्वारा आमंत्रण के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों का इन विनियमों और चयन प्रक्रिया में उल्लिखित मानदंडों, जिनका ऐसे आवेदन आमंत्रित करते समय वर्णन किया गया था, के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित कर लेने के पश्चात् कि आवेदक द्वारा अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूर्ण किया जाता है, उन नियमों और शर्तों के अधीन जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदक को पेंशन निधि स्थापित करने के अनुमति दे सकता है और भाग-ख (व्याख्या) में दी गई विधि से तृतीय अनुसूची के भाग-क में उल्लेखानुसार अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने पर पेंशन निधि का पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुसूची-1 में दिए गए फॉर्मेट में प्रदान किया जा सकता है।

(3) (क) पेंशन निधि को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वैध रहेगा, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा निरस्त या रद्द नहीं किया जाता,

(ख) पेंशन निधि को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र उसके द्वारा अभ्यर्पित किया जा सकता है ;

(ग) प्रमाणपत्र अभ्यर्पित किए जाने के बावजूद, प्राधिकरण द्वारा अभ्यर्पण स्वीकार किए जाने तक पंजीकरण वैध रहेगा I'

(VIII) विनियम 10 के उप-विनियम (2) में, *'अंतिम' शब्द* के बाद *'और बाध्यकारी'* शब्दों को जोड़ा जाएगा I

(IX) विनियम 11 के उप-विनियम (4) के बाद, निम्नानुसार एक प्रावधान जोड़ा जाएगा-

'परन्तु प्राधिकरण के साथ पहले से ही पंजीकृत पेंशन निधियों को "कारोबार आरम्भ करने के लिए प्रमाणपत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है I'

(X) विनियम 12 के उप-विनियम (ख) में, *'प्राधिकरण द्वारा विनियमित'* शब्दों के बाद *'या प्रशासित'* शब्दों को जोड़ा जाएगा I

(XI) विनियम 12 के उप-विनियम (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

'पेंशन निधि, पचास करोड़ या उससे अधिक राशि, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो,की मूर्त निवल परिसंपत्ति धारित करेगी;'

(XII) विनियम 12 के उप-विनियम (ञ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

'(ञ)*(i) "प्रबंधन, स्वामित्व, शेयरधारिता पद्धति या पेंशन निधि के प्रायोजक के नियंत्रण के हित में एक वित्त वर्ष में प्रायोजक या पेंशन निधि की प्रदत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक किंतु पांच प्रतिशत से कम कोई बदलाव होने पर, प्राधिकरण को ऐसे बदलाव होने से पंद्रह दिनों के अन्दर सूचित किया जाएगा,*

परन्तु एक वित्त वर्ष में प्रायोजक या पेंशन निधि की प्रदत्त पूंजी में पांच प्रतिशत या उससे अधिक कोई बदलाव प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा I

(ii) *प्रायोजक या पेंशन निधि के प्रमुख कार्मिकों में कोई परिवर्तन होने पर प्राधिकरण को ऐसे बदलाव होने से पंद्रह दिनों के अंदर सूचित किया जाएगा ;'*

(XIII) विनियम 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

*'**वार्षिक शुल्क** - प्रत्येक पेंशन निधि प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल से पूर्व या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने से 15 दिन के अंदर अनुसूची-3 में उल्लिखित या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित वार्षिक शुल्क जमा करेगी I'*

(XIV) विनियम 19 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

'(1)(क) पेंशन निधि, पेंशन निधि के रूप में उसके परिचालन का विवरण, पेंशन निधि आस्तियों का स्कीम-वार निपटान सुसंगत लेखा तारीख पर करने और अवधि के दौरान निष्पादकता देने के साथ ही अभिदाताओं को प्रोद्भूत आय के वितरण और संचयन के बारे में सूचना सही व निष्पक्ष रूप में इन विनियमों या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार देने के लिए अनुसूची-7 में दिए अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी;

(ख) प्राधिकरण, इन विनियमों के प्रयोजनार्थ और जो पेंशन निधियों के लिए बाध्यकारी हैं, के अनुसार संवैधानिक और स्कीम लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा;'

(XV) विनियम 33 के उप-विनियम 1 (च) में, *'पेंशन निधि या पेंशन निधि का प्रायोजक'* शब्दों के बाद *'जहाँ लागू हो'* शब्दों को जोड़ा जाएगा I

(XVI) विनियम 33 के उप-विनियम 1 (छ) में, *'पेंशन निधि या प्रायोजक'* शब्दों के बाद *'जहाँ लागू हो'* शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

IndiaCode

(XVII) विनियम 33 के उप-विनियम 1 (ज) में, *'पेंशन निधि या प्रायोजक'* शब्दों के बाद *'जहाँ लागू हो'* शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(XVIII) विनियम 33 के उप-विनियम 1 (झ) में, *'पेंशन निधि या प्रायोजक'* शब्दों के बाद *'जहाँ लागू हो'* शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(XIX) विनियम 33 के उप-विनियम 1 (ञ) में, *'पेंशन निधि या प्रायोजक'* शब्दों के बाद *'जहाँ लागू हो'* शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(XX) विनियम 33 के उप-विनियम 1(त) के बाद, उप-विनियम 1(थ) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा –

'अधिनियम की धारा 20 के तहत न्यूनतम निर्धारित प्रतिलाभ स्कीम के तहत अभिदाता को आश्वासित गारंटी प्रदान करने में असफल होता है,'

(XXI) विनियम 33 के उप-विनियम 1 के खंड (थ) और (द) को खंड (द) और (ध) क्रमशः के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा ।

(XXII) विनियम 34 के उप-विनियम 1 (घ) में, *'पेंशन निधि या प्रायोजक'* शब्दों के बाद *'जहाँ लागू हो'* शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(XXIII) विनियम 36 के उप-विनियम 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

***'सूचना का जारी किया जाना** – (1) अभिहित प्राधिकारी, यदि उसे ऐसे युक्तियुक्त आधारों का पता चलता है तो वह किसी सम्बंधित व्यक्ति या पेंशन निधि या प्रायोजक को, उससे यह दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न ऐसी पेंशन निधि को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाए या क्यों न उसमें उपबंधित कोई अन्य कार्रवाई की जाए, एक सूचना जारी करेगा ।'*

(XXIV) विनियम 43 में *'पेंशन निधि पर बाध्यकारी होंगे'* शब्दों के स्थान पर *'पेंशन निधि और प्रायोजक, जहां लागू हो, पर बाध्यकारी होंगे'* शब्दों को प्रतिस्थापित जाएगा ।

(XXV) अनुसूची-1 में, पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के फॉर्मेट को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015
[(विनियम 9(2) देखिए)]
पेंशन निधि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 27 की उप-धारा (3) और उसके साथ पठित विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के विनियम 3 (1) और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार पेंशन निधि के रूप में कार्य करने और प्राधिकरण द्वारा विनियमित और प्रशासित पेंशन योजनाओं की आस्तियों के प्रबंधन के लिए यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है ।

प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा जब तक प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाता और जब तक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों के तहत नियम और शर्तों का पालन किया जाता है ।

पेंशन निधि का रजिस्ट्रीकरण कोड है ।

तारीख :.....
स्थान :

आदेश द्वारा
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से'

पंकज जैन, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./435/19]

पाद टिप्पणी :

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि), विनियम, 2015 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र भाग-III खंड-4 में 19 मई, 2015 को प्रकाशित किया गया I
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र भाग-III खंड-4 में 8 सितंबर, 2016 को प्रकाशित किया गया I

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2020

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Second Amedment) Regulations, 2020

No. PFRDA/12/RGL/139/9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (m), (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 namely, -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Second Amendment) Regulations, 2020.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015:-

(I). In regulation 2, sub-regulation (h) shall be inserted after sub-regulation 2(g) as below-

' "sponsor" means any body corporate who holds not less than twenty per cent. of equity capital in the pension fund and as has been defined under sub-regulation 8(h).'

(II). Sub-regulation (1)(c) of regulation 8 shall be substituted as below-

"the sponsors, individually or jointly, shall have a positive tangible net worth of at least fifty crore rupees on the last day of each of the preceding five financial years out of which at least twenty-five crore rupees should be the capital;"

(III). Sub-regulation (1)(e) of regulation 8 shall be substituted as below-

"(i) the sponsor of a pension fund shall incorporate a pension fund as a separate limited company under the Companies Act, 2013 and shall ensure that such pension fund has a minimum tangible net worth of fifty crore rupees or such other higher amount as may be specified by the Authority from time to time;

(ii) the sponsor of a pension fund already registered with Authority, shall not be required to incorporate a new pension fund, but shall be required to furnish full details of the said pension fund to the Authority;

Provided that the sponsor shall ensure that the existing pension fund achieves minimum tangible net worth of fifty crore rupees or such higher amount as stipulated by the Authority from time to time, within such time as may be decided by the Authority;"

(IV). Sub-regulation (1)(f) of regulation 8 shall be substituted as below-

"*the aggregate holding of equity shares by a foreign company either by itself or through its subsidiary companies or its nominees or by an individual or by an association of persons whether registered or not under any law of a country outside India taken in aggregate in the pension fund shall not exceed forty nine per cent. of the paid-up capital of such fund or such percentage as may be approved for an Indian Insurance Company under the provisions*

of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), whichever is higher. The calculation of foreign investment shall be in accordance with the relevant rules notified by the Central Government or the regulations or guidelines issued by the Authority for the said purpose;"

(V). Sub-regulation (1)(i) of regulation 8 shall be substituted as below-

"the sponsor of a pension fund or the pension fund itself shall not hold any direct equity stake in any other pension fund regulated by the Authority;

Provided that a sponsor of a pension fund already holding equity stake in any other pension fund regulated by the Authority prior to the notification of the Act and/or these regulations, may continue to hold the same. However, the sponsor shall not increase its equity stake or holding in any other pension fund without the specific approval of the Authority;"

(VI). In sub-regulation (3) of regulation 8, after the words '*National Pension System or any other pension scheme regulated*', the words *'or administered'* shall be inserted.

(VII). Regulation 9 shall be substituted as below-

"Procedure for grant of certificate of registration, registration fees and period of validity of certificate of registration-

(1) An application received in response to the Authority's invitation under the selection process for registration of a pension fund will be evaluated in accordance with the criteria specified in these regulations and the selection process communicated at the time of inviting such applications.

(2) *The Authority upon being satisfied that the applicant is fulfilling the eligibility criteria as laid down under the Act, the rules and these regulations, it may, subject to such terms and conditions as it may specify, permit the Applicant to set up a pension fund and on receipt of the non-refundable registration fee as specified in Part A of Schedule III in the manner specified in Part B (explanations) thereof, may grant a certificate of registration to the pension fund in the format as specified in Schedule I.*

(3) (a) A certificate of registration granted to a pension fund shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority;

(b) A certificate of registration granted to a pension fund may be surrendered by it;

(c) Notwithstanding the surrender of certificate, the registration shall remain valid till it is accepted by the Authority."

(VIII). In sub-regulation (2) of regulation 10, after the words *'shall be final'*, the words *'and binding'* shall be inserted.

(IX). After sub-regulation (4) of regulation 11, a proviso shall be inserted as below-

"Provided that the pension funds already registered with the Authority shall not be required to seek certificate of commencement of business."

(X). In sub-regulation (b) of regulation 12, after the words *'for managing the pension schemes regulated'*, the words *'or administered'* shall be inserted.

(XI). Sub-regulation (c) of regulation 12 shall be substituted as below-

"The pension fund shall maintain tangible net worth of fifty crore rupees or such higher amount as may be specified by the Authority from time to time;"

(XII). Sub-regulation (j) of regulation 12 shall be substituted as below-

"(j) (i) Any change in management, ownership, shareholding pattern or controlling interest of sponsor of the pension fund exceeding one per cent. but less than five per cent. of the paid up capital of the sponsor or pension fund in a financial year, shall be informed to the Authority within fifteen days of the occurrence of such change;

Provided that no change in excess of five per cent. or more of the paid up capital of the sponsor or the pension fund, in any financial year, shall be made without prior approval of the Authority.

(ii) Any change in the key personnel of the sponsor or the pension fund shall be intimated to the Authority within fifteen days of the occurrence of such change;"

(XIII). Regulation 13 shall be substituted as below-

*"**Annual Fee**.- Every pension fund shall deposit with the Authority before the 15th day of April of each year or within fifteen days of grant of certificate of registration, an annual fee as specified in Schedule III or as determined by the Authority from time to time."*

(XIV). Sub-regulation (1) of regulation 19 shall be substituted as below-

"(1)(a) A pension fund shall prepare an annual report in respect of each financial year as detailed in Schedule VII to furnish details regarding its operations as pension fund, scheme-wise disposition of the assets at the relevant accounting date and the performance during that period, together with information regarding distribution and accumulation of income accruing to the subscribers in a true and fair manner, in compliance with these regulations or guidelines issued by the Authority from time to time;

(b) The Authority may issue suitable guidelines with respect to appointment of statutory and scheme auditors for the purpose of this regulation and which shall be binding on the pension fund."

(XV). In sub-regulation (1)(e) of regulation 33, after the words *'the pension fund or the pension fund's sponsors'*, the words *'where applicable'* shall be inserted.

(XVI). In sub-regulation (1)(f) of regulation 33, after the words *'if pension fund or sponsor'*, the words *'where applicable'* shall be inserted.

(XVII). In sub-regulation (1)(g) of regulation 33, after the words *'if pension fund or sponsor'*, the words *'where applicable'* shall be inserted.

(XVIII). In sub-regulation (1)(h) of regulation 33, after the words *'if pension fund or sponsor'*, the words *'where applicable'* shall be inserted.

(XIX). In sub-regulation (1)(i) of regulation 33, after the words *'if pension fund or sponsor'*, the words *'where applicable'* shall be inserted.

(XX). In regulation 33, after sub-regulation (1)(m), sub-regulation (1)(n) shall be inserted as below-

"fails to honour the guarantee assured to subscriber under the minimum assured return scheme referred to under section 20 of the Act;"

(XXI). In regulation 33, clauses (n) and (o) of sub-regulation (1) shall be renumbered as clauses (o) and (p) respectively.

(XXII). In sub-regulation (1)(d) of regulation 34, after the words *'the pension fund or sponsor'*, the words *'where applicable'* shall be inserted.

(XXIII). Sub-regulation (1) of regulation 36 shall be substituted as below-

*"**Issuance of notice**.- (1) The designated authority shall, if it finds reasonable grounds to do so, issue a notice to any other concerned person or the pension fund or sponsor, requiring it to show cause as to why the certificate of registration granted to such pension fund, should not be suspended or cancelled or why any other action mentioned herein should not be taken."*

(XXIV). In regulation 43, after the words '*shall be binding on the pension fund'*, the words '*and the sponsor where applicable'* shall be inserted.

(XXV). In regulation 44, the words '*in the interest of the interest of*', shall be substituted by '*in the interest of*'.

IndiaCode

(XXVI). In Schedule I, the format of Certificate of Registration as Pension Fund shall be substituted as below-

"

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015
[See regulations 9(2)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), read with regulations made thereunder, the Authority hereby grants this certificate of registration to _____, to act as a pension fund in terms of regulation 3(1) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 and amendments thereof and for managing the assets of the pension schemes regulated or administered by the Authority.

The Certificate of Registration granted shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority and subject to adherence to the terms and conditions provided under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) and Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 and amendments thereto.

The Registration Number of the Pension Fund is……..

Date: ….

Place:

IndiaCode

By Order

For and on behalf of

Pension Fund Regulatory and Development Authority"

PANKAJ JAIN, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./435/19]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 19th May, 2015 vide No. PFRDA/12/RGL/139/9.

2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (First Amendment) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India on 8th September, 2016 vide No. PFRDA/12/RGL/139/9.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.07 19:42:44 +05'30'